डीजी परिपत्र संख्या - 42 /2016

जावीद अहमद
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः जुलाई 15 ,2016

विषय : उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण(संशोधन) अधिनियम 2015 के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

कृपया इस मुख्यालय द्वारा पूर्व में अनुलग्नकों सहित निर्गत परिपत्र संख्या : 29/2016 दिनांक 28.05.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें, जो उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण(संशोधन) अधिनियम 2015 का अनुपालन किये जाने विषयक है।

2. आप अवगत हो कि उपरोक्त संशोधित अधिनियम उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है तथा इसकी प्रति आप सभी को पूर्व में निर्गत परिपत्र के साथ प्रेषित की गयी है। आप सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि संशोधित अधिनियम का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा नये प्राविधानों से अपने अधीनस्थों को अवगत कराने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि संशोधित अधिनियम में मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड-ख में उपखण्ड-7 के पश्चात नये उपखण्ड 8 से 11 तक जोड़े गये हैं। इस प्रकार मूल अधिनियम को अधिक व्यापक एवं कठोर बनाया गया है। उपखण्ड 8 से 11 में निम्न अपराध शीर्षकों को शामिल किया गया है :-

8. साहूकारी विनिमय अधिनियम 1976 के अधीन दण्डनीय अपराध ।
9. जो विधि विरूद्ध क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम 1966 और भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन दण्डनीय अपराध में अन्तर्ग्रस्त हो।
10. गोवध निवारण अधिनियम 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 में उपबन्धों के उल्लघंन में मवेशियों के अवैध परिवहन या तस्करी के कार्यों में अन्तर्ग्रस्त हो।
11. वाणिज्यिक शोषण, बलात श्रम, बन्धुआ श्रम, बाल श्रम, यौन शोषण, अंग हटाने तथा दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति और इसी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रयोजनों हेतु मानव दुर्व्यापार में अन्तर्ग्रस्त हो।

3. अतः उपरोक्त वर्णित अपराधों के प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही किये जाने का विकल्प इस संशोधन के बाद प्राप्त हो गया है।

4. आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण(संशोधन) अधिनियम 2015 में दिये गये नये प्राविधानों का उपयोग अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों को दण्डित करने के लिए प्रभावी रूप से करना सुनिश्चित करें ताकि एक सकारात्मक संदेश समाज के सभी वर्गों में जाये तथा इस तरह के अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लग सके।

भवदीय

(जावीद अहमद)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
2 अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
3 अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
4 समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
5 समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।